

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

अपील संख्या 4148 / 2021 मंजुवाला भाटी वनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान सिविल सेवा अधीकरण, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2021 में अप्रार्थित को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को कर्त्तव्याङ्कर कर आव्याख्या आदेश के जरिए निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य लेप से यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी वर्तमान में रा.उ.मा.वि. रम्भावली, ब्लॉक छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़ में अध्यापक लेवल-1 के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी का फृथानुसार अपीलार्थी की नियुक्ति प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन दिनांक 23.01.1992 को राष्ट्रायि हिंगोरिया, ब्लॉक छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़ में अध्यापक लेवल-1 के पद पर हई थी। अपीलार्थी वर्तमान में नियम 6-डी के तहत राजस्मित डोकर अध्यापक लेवल-1 के पद पर रा.उ.मा.वि. रम्भावली, ब्लॉक-छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़ में दिनांक 09.06.2016 से कार्यरत है। अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर प्रतापगढ़ जिले से राजसमंत जिले के ब्लॉक खंडनोर के विद्वालयों में रिक्त पद पर पदस्थापन करने की मांग की है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान सिविल सेवा अधीकरण, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2021 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अधिकारीय व नीतिगत विधियों के सावधान में गहन अप्रतोक्ता व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 के अनुसार इसी अध्यापक का पद जिला रक्तर का पद है, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी है। रोटरर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। तृतीय श्रेणी अध्यापक का पद जिला बैंडर का होने के कारण यिला परिवर्तन कर स्थानान्तरण करने से विभाग का जिलारतरीय रोटरर प्रभावित होता है। तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद जिले में उपलब्ध विवितयों के आधार पर वर्गीकरण एवं यिलेवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं वर्गीकरण अधिकारीयों को जिलेवार व वर्गीकरण ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य जिले में रथानान्तरण कर जिला परिवर्तन किये जाने से जिलों में उपलब्ध पदों के विलम्ब पदस्थापन का अनुपात असतुरित हो जाएगा ऐससे अव्यवस्था होगी तथा शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो कि छात्र हित एवं विभाग के अनुकूल नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा मी.एस.बी.सिविल याचिका राख्या 11311 / 2015 धूता दनाम सरकार में यह विर्त्ति पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्यक का इच्छित स्थान पर रथानान्तरण की मांग अधिकारारवरुण नहीं की जा सकती। कार्यक की पारिवारिक परिवर्थितियों के आधार पर कार्यक के पक्ष में रथानान्तरण का अधिकार सुझित नहीं होता है। कार्यक द्वारा रथानान्तरण हेतु धर्षित परिवर्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं विभागीय के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व धाव द्वितीयों को द्यान वै रख कर ही रथानान्तरण किए जाते हैं। अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में अन्तर जिला रथानान्तरण हेतु की जा रही मांग लक्षसंगत एवं आवित्यपूर्ण नहीं है। उक्तानुसार इस मांग को अस्वीकृत की जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निरस्तारित किया जाता है।

सत्यमेव जयते

(कनान राम)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- २१०१२२

क्रमांक:- शिवरा-गा./सरथा/एफ-2/लो.के./घाथ/13275/2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु --

1. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-विधि) जयपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक प्रतापगढ़
3. रायवत विधि पश्चात्यार्थी, कार्यालय द्वारा
4. रेस्टर एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
5. अपीलार्थी मंजुवाला भाटी, अ. लेवल-1, रा.उ.मा.वि.द्यालय, रम्भावली, ब्लॉक-सादड़ी, जिला-प्रतापगढ़ (रजिस्टर्ड)
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (निवारणी)